

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में ₹ 1,049.00 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के कर/शुल्क के अनारोपण/अल्पापरोपण/हानि से संबंधित दो निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 32 कंडिकायें सम्मिलित हैं, जिसमें ₹ 1,026.48 करोड़ वसूलनीय है एवं शेष ₹ 22.52 करोड़ की राशि सरकार को हुई परिहार्य सैद्धान्तिक क्षति थी। ₹ 22.52 करोड़ के सैद्धान्तिक क्षति सहित ₹ 672.01 करोड़ के लेखापरीक्षा अवलोकनों को सरकार/विभागों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। मुख्य निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख निम्न कंडिकाओं में किया गया है।

I. सामान्य

वर्ष 2013-14 की कुल प्राप्तियाँ ₹ 26,136.79 करोड़ की तुलना में वर्ष 2014-15 में झारखण्ड सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 31,564.56 करोड़ थी। कर राजस्व के ₹ 10,349.81 करोड़ एवं कर-भिन्न राजस्व के ₹ 4,335.06 करोड़ को मिलाकर राज्य सरकार ने कुल ₹ 14,684.87 करोड़ का राजस्व सृजित किया। भारत सरकार से ₹ 16,879.69 करोड़ (विभाज्य संघीय करों से राज्यों का हिस्सा: ₹ 9,487.01 करोड़ एवं सहायता अनुदान: ₹ 7,392.68 करोड़) प्राप्त हुए। इस प्रकार, राज्य सरकार कुल राजस्व का मात्र 47 प्रतिशत ही सृजित कर सकी। वर्ष 2014-15 की अवधि में बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 8,069.72 करोड़) और अ-लौह खनन और धातुकर्मीय उद्योग (₹ 3,472.99 करोड़) क्रमशः कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व के मुख्य स्रोत थे।

(कंडिका 1.1)

31 मार्च 2015 को राजस्व के बकाये, राजस्व के कुछ मुख्य शीर्षों के संबंध में यथा, बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वाहनों पर कर एवं राज्य उत्पाद ₹ 3,311.93 करोड़ के थे, जिनमें ₹ 2,347.84 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया थी। कुल बकाये में से ₹ 392.78 करोड़ की वसूली के लिए बकाये भू-राजस्व की तरह नीलामपत्रवाद दायर किये गये और ₹ 745.94 करोड़ न्यायालयों एवं अन्य अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष कार्यवाहियों, भूल सुधार/पुनर्विचार आवेदन, पार्टियों के दिवालिया हो जाने के कारण रुका हुआ था, जबकि शेष ₹ 2,173.21 करोड़ के संबंध में की गई विशिष्ट कार्रवाई की जानकारी संबंधित विभागों द्वारा नहीं दी गयी।

(कंडिका 1.2)

दिसम्बर 2014 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) एवं लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या, जिसका निपटारा जून 2015 तक नहीं हो पाया था, क्रमशः 1,065 एवं 8,677 थीं, जिनमें ₹ 13,276.87 करोड़ सन्निहित थे। दिसम्बर 2014 तक निर्गत 182 नि.प्र. के संबंध में प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए थे यद्यपि निर्गत प्रतिवेदनों के जारी होने के एक माह के अंदर उनका उत्तर दिया जाना अपेक्षित था।

(कंडिका 1.6.1)

वर्ष 2014-15 अवधि में बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू-राजस्व, मुद्रांक एवं निबंधन फीस, विद्युत पर कर एवं शुल्क, खनन प्राप्तियाँ के 114 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में कुल ₹ 1,219.56 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि के 6,699 मामले प्रकाश में आये। वर्ष के दौरान संबद्ध विभागों ने 4,052 मामलों में सन्निहित ₹ 687.45 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया एवं 2014-15 में 340 मामलों में ₹ 3.37 करोड़ वसूल की गयी।

(कंडिका 1.9)

II. बिक्री, व्यापार आदि पर कर

“मू.व.क. के अन्तर्गत करनिर्धारण की प्रणाली” के एक निष्पादन लेखापरीक्षा से निम्नलिखित उद्घटित हुआ:

वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान स्व-करनिर्धारण के केवल 12 मामले थे और विभाग ने व्यवसायियों के बीच स्व-करनिर्धारण को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई पहल नहीं किया जिसका कार्मिकों की कमी और निबंधित व्यवसायियों के निरंतर वृद्धि के साथ परिणाम, वर्ष 2009-10 में 11,313 से 2013-14 में 22,614 कर निर्धारणों में भारी बकाये के संचयन में हुआ।

(कंडिका 2.3.8, 2.3.10.1 एवं 2.3.22.4)

हालाँकि अधिनियम में अनिबंधित व्यवसायियों की पहचान करने हेतु सर्वेक्षण का प्रावधान विद्यमान था, पर ऐसे सर्वेक्षण के लिए तौर तरीके निर्धारित नहीं किये गये हैं। 54 अनिबंधित व्यवसायियों का पता करने हेतु विभाग ने निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध टी.डी.एस. विवरणों का उपयोग नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.91 करोड़ के अनिवार्य अर्थदंड सहित ₹ 3.82 करोड़ के कर का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 2.3.10.2 एवं 2.3.10.3)

13 अंचलों में निबंधित 45,732 व्यवसायियों से नमूना जाँच किये गये 1,062 व्यवसायियों में से 70 व्यवसायियों के मामले में बिक्री/खरीद में ₹ 1,404.19 करोड़ के आवर्त का छिपाव हुआ था परिणामस्वरूप ₹ 128.51 करोड़ के अनिवार्य अर्थदंड सहित ₹ 192.75 करोड़ के कर का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 2.3.11)

नौ अंचलों में 35,129 व्यवसायियों से नमूना जाँच किये गये 1,186 में से 24 व्यवसायियों के मामलों में ₹ 8.35 करोड़ के आई.टी.सी. दावों में अनियमिततायें थीं यथा अनियमित/गैर स्वीकार्य आई.टी.सी. के दावे, अतिरिक्त दावे, आई.टी.सी. का व्युत्क्रमण न होना और उस पर ब्याज का प्रभारित नहीं किया जाना।

(कंडिका 2.3.13)

सात अंचलों में 27,528 व्यवसायियों से नमूना जाँच किये गये 852 में से 13 व्यवसायियों के मामले में मालों के गलत वर्गीकरण और कर के गलत दर के अनुप्रयोग के कारण ` 6.27 करोड़ के कर का अल्पारोपण हुआ।

(कंडिका 2.3.14)

12 अंचलों में 43,000 व्यवसायियों से नमूना जाँच किये गये 1,125 में से 46 व्यवसायियों के मामले में स्वीकृत कर/देय कर का भुगतान नहीं किया जाना/विलंब से भुगतान, बिना प्रमाणवाले अस्वीकृत दावे, गलत छूटों और रियायतों पर ` 38.43 करोड़ के ब्याज का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 2.3.16)

10 अंचलों में 40,911 व्यवसायियों से नमूना जाँच किये गये 2,075 में से 34 व्यवसायियों के मामले में अंतर्राज्यीय और राज्यांतर्गत भंडार अंतरण, मार्गस्थ बिक्री, घोषणा प्रपत्रों के दुरुपयोग और अवैध प्रपत्रों के विरुद्ध छूट की गलत अनुमति दी गयी जिसके परिणामस्वरूप ` 49.36 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.3.20)

वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान 39,061 और 45,732 व्यवसायियों में से मू.व.क. लेखापरीक्षा हेतु क्रमशः 838 और 906 व्यवसायी चयनित किये गये, पर मू.व.क. लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा मात्र 170 और दो व्यवसायियों की लेखापरीक्षा की गयी और 668 और 904 व्यवसायियों की लेखापरीक्षा बकाया रह गई।

(कंडिका 2.3.22.1)

सात लोक कार्य प्रमंडलों एवं तीन कंपनियों से प्राप्त अभिलेख/आँकड़े की छः वाणिज्यकर अंचलों के अभिलेखों के साथ की गई तिर्यक-जाँच से आवर्त के छिपाव का पता चला परिणामस्वरूप 16 संवेदकों के मामलों में ` 7.85 करोड़ के अनिवार्य अर्थदंड सहित ` 11.78 करोड़ के कर की कम वसूली हुई।

(कंडिका 2.4.2)

सात वाणिज्यकर अंचलों में निबंधित 27 व्यवसायियों के मामले में निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा आवर्त के गलत निर्धारण के फलस्वरूप वर्ष 2008-09 से 2011-12 की अवधि के दौरान ` 144.96 करोड़ के कर एवं अर्थदंड का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.5)

चार वाणिज्यकर अंचलों के सात निर्धारितियों के मामले में 2010-11 की अवधि के दौरान छूट के दावे प्रलेखों द्वारा समर्थित नहीं होने पर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा ` 34.30 करोड़ का ब्याज आरोपित नहीं किया गया।

(कंडिका 2.6)

तीन वाणिज्यकर अंचलों में 2009-10 से 2010-11 की अवधि के दौरान चार निर्धारितियों द्वारा घोषणा प्रपत्र 'सी' एवं 'एफ' के दुरुपयोग पर करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा ` 4.63 करोड़ का अर्थदंड आरोपित नहीं किया गया।

(कंडिका 2.7)

चार वाणिज्यकर अंचलों में 15 निर्धारितियों के मामले में कर के गलत दर के अनुप्रयोग के कारण ` 1.91 करोड़ के कर का अल्पारोपण हुआ।

(कंडिका 2.9)

III. राज्य उत्पाद

चार उत्पाद जिलों में वर्ष 2013-14 के दौरान 51 दुकाने अबंदोबस्त रही।

(कंडिका 3.4.)

सात उत्पाद जिलों में 542 दुकानों द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान शराब के कम उठाव के परिणामस्वरूप ` 4.67 करोड़ के उत्पाद शुल्क का आरोपण नहीं किया गया।

(कंडिका 3.5.)

IV. वाहनों पर कर

“परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली के साथ प्रदूषण मानकों के अनुपालन पर बल” के एक निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित उद्घटित हुआ:

नीलामपत्रवाद मामलों का निष्पादन अत्यंत अपर्याप्त था क्योंकि विभाग वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान 23,561 मामलों के विरुद्ध 669 नीलामपत्रवाद मामलों का ही निष्पादन कर सका, जिसमें 20,214 मामले 2009-10 के पूर्व के थे।

(कंडिका 4.3.9)

चयनित कार्यालयों में 10,653 वैयक्तिक वाहनों में से 1,172 वैयक्तिक वाहनों, जिनकी कर वैधता जुलाई 2005 एवं नवम्बर 2014 के बीच समाप्त हो गयी थी, के मामले में ` 2.92 करोड़ के एकमुश्त कर का आरोपण नहीं किया गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर में प्रमादियों को माँग पत्र स्वतः सृजित करने का प्रावधान नहीं था।

(कंडिका 4.3.10.1)

झा.मो.वा.क. (संशोधन) अधिनियम, 2011 के लागू होने के चार वर्ष के उपरान्त भी विभाग द्वारा अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने हेतु लोक सेवा वाहनों का उनकी उम्र और यात्री सुविधा के आधार पर एक्सप्रेस, सेमी डीलक्स, डीलक्स, ए.सी. डीलक्स बस में वर्गीकरण एवं तदनुसार करारोपण नहीं किया गया।

(कंडिका 4.3.13)

11 परिवहन कार्यालयों में 26,121 वाहनों में से 5,374 वाहन स्वामियों द्वारा जून 2009 एवं जून 2015 के मध्य देय ` 26.51 करोड़ के कर एवं अर्थदंड का न तो भुगतान किया और न ही विभाग द्वारा माँग की गयी।

(कंडिका 4.3.16 एवं 4.3.17)

11 चयनित जिलों में से आठ परिवहन कार्यालयों एवं परिवहन आयुक्त, झारखण्ड के कार्यालय में 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान संग्राहक बैंकों ने उनके द्वारा संग्रहित राजस्व को विलम्ब से सरकारी खाते में प्रेषण पर देय ` 7.29 करोड़ का ब्याज जमा नहीं किया।

(कंडिका 4.3.19.1)

राज्य में मार्च 2014 तक कुल निबंधित 34,51,564 वाहनों में शामिल 9,09,001 वाहन जो 15 वर्ष से अधिक पुराने थे, लेकिन विभाग द्वारा पुराने वाहनों को क्रमिक रूप से हटाने की कोई नीति नहीं थी।

(कंडिका 4.3.20.1)

राज्य के 24 जिलों में से मात्र 11 जिलों में ही प्रदूषण जाँच केन्द्र प्राधिकृत थे। वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान 8.84 लाख नये निबंधित वाहनों के विरुद्ध 4.09 लाख पी.यू.सी. प्रमाणपत्र निर्गत किया गया। विभाग को पी.यू.सी. के सहित या रहित वाहनों की कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी। प्रदूषण जाँच उपकरण जैसे स्मोक मीटर, गैस एनालाइज़र आदि परिवहन पदाधिकारियों को उपलब्ध नहीं कराये गये थे

(कंडिका 4.3.20.2 एवं 4.3.20.3)

मोटर यान निरीक्षकों ने सेवा कर राशि सहित ` 27.67 करोड़ का राजस्व वाहनों के फिटनेस मद में वसूल किया गया लेकिन ` 3.07 करोड़ के सेवा कर की राशि '0044 सेवा कर' शीर्ष के अंतर्गत जमा नहीं किया गया।

(कंडिका 4.3.22)

सात परिवहन कार्यालयों से संबंधित 1,803 वाहन स्वामियों से मार्च 2010 एवं मार्च 2015 की अवधि के मध्य देय ` 5.49 करोड़ के कर एवं अर्थदंड का न तो वाहन स्वामियों द्वारा भुगतान किया गया और न ही विभाग द्वारा माँग की गयी।

(कंडिका 4.5)

V. अन्य कर प्राप्तियाँ

भू-राजस्व

एक अंचल कार्यालय में 22 पट्टों जो वर्ष 1960 एवं 1996 के मध्य समाप्त हो गये थे, के नवीनीकरण नहीं किये जाने के कारण सलामी, दाण्डिक लगान एवं ब्याज के रूप में ` 2.24 करोड़ के सरकारी राजस्व का वसूली नहीं किया जाना।

(कंडिका 5.4)

मुद्रांक एवं निबंधन फीस

एक जिला अवर निबंधक कार्यालय में 11 हस्तांतरण विलेखों को विकास अनुबंधों के रूप में गलत ढंग से वर्गीकरण का परिणाम वर्ष 2012-13 के दौरान ` 19.46 लाख के मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस के कम आरोपण में हुआ।

(कंडिका 5.8)

विद्युत पर कर एवं शुल्क

तीन वाणिज्यकर अंचलों में 2005-06 से 2012-13 के दौरान सात निर्धारितियों के मामलों में विद्युत शुल्क एवं अधिभार के नहीं/कम भुगतान पर करनिर्धारण प्राधिकारियों द्वारा ` 7.35 करोड़ का अर्थदंड आरोपित नहीं किया गया।

(कंडिका 5.13)

तीन वाणिज्यकर अंचलों में पाँच निर्धारितियों के मामलों में विद्युत शुल्क के गलत दर के अनुप्रयोग एवं अधिभार का आरोपण नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप ` 3.83 करोड़ के विद्युत शुल्क एवं अधिभार के नहीं/कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 5.14)

VI. खनन प्राप्तियाँ

सात जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा 34 पट्टेधारियों के मामले में 2009-10 से 2013-14 की अवधि में 161.55 लाख मी.ट. बॉक्साइट, कोयला एवं लौह अयस्क के प्रेषण पर स्वामिस्व के गलत दर के अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप ` 338.59 करोड़ के स्वामिस्व का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 6.4)

चार जिला खनन कार्यालयों में चार कोयला खानों द्वारा प्रेषित 50.55 लाख मी.ट. कोयले के निम्नश्रेणीकरण एवं जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा विवरणियों के छानबीन द्वारा इसे पता लगाने की विफलता के परिणामस्वरूप 2013-14 के दौरान ` 27.60 करोड़ के स्वामिस्व का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 6.5)